राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3052/2023

प्रदीप कुमार —**अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, बनीपार्क, जयपुर।
3. अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बनीपार्क, जयपुर।
4. रिटर्निंग अधिकारी, कठूमर, जिला अलवर।

—**प्रत्यर्थीगण**

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.10.2023
आदेश की दिनांक : 02.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानियां, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर में कार्यरत है और आलोच्य आदेश दिनांक 23.10.2023 के द्वारा अपीलार्थी को संभागीय आयुक्त, जयपुर से कठूमर, जिला अलवर में कार्यव्यस्थार्थ लगाया गया है। उनका कथन है कि राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 04.01.2023 एवं 15.01.2023 के द्वारा स्थानान्तरणों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है, फिर भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी को बिना किसी प्रशासनिक कारणों के एवं बिना यात्रा भत्ता दिए एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरित किया गया है, जबकि अपीलार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हुए अल्प वेतन भोगी है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 12454/2013 श्रीमती कमलेश घग्घर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य आदि में भी ऐसे स्थानान्तरण आदशों को अनुचित माना है और इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग

द्वारा जारी किया गया आलोच्य आदेश विधि एवं नियमों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 23.10.2023 अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथावत कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलाथी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर में कार्यरत है और आलोच्य आदेश दिनांक 23.10.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण जयपुर जिले से अलवर जिले में किया गया है, जबकि अपीलार्थी अल्प वेतन भोगी कार्मिक है और आलोच्य आदेश में अपीलार्थी को कार्यव्यवस्थार्थ हेतु लगाया गया है, जिसमें यात्रा भत्ता भी अपीलार्थी को नहीं दिया गया है और न ही सक्षम स्तर पर अनुमोदित किया जाना उल्लेख किया गया है। जबकि राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरणों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रकार हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किया गया आलोच्य आदेश विधि एवं नियमों के अनुरूप प्रकट नहीं होता है। अतः अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 23.10.2023 को अपास्त फरमाया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य